an>

Title: Demand for President's rule in Kerala.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा): अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं।...(व्यवधान) केरल में लगातार हिंसा हो रही है और कल जो एक बड़ी हिंसा हुई है, उसमें हमारे राज्य सभा के एक वरिष्ठ सदस्य के घर पर हमला हुआ है, उन्हें मारने की साजिश हुई है।...(व्यवधान)

स्पीकर मैडम, यह साजिश कोई अकेली साजिश नहीं है।...(व्यवधान) वर्ष 1947 से लेकर आज तक लगातार सी.पी.एम. वहां पर गुंडागर्दी और हत्या की राजनीति कर रहा है।...(व्यवधान) इसके कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों में कितनी ऐसी माँएं हैं, जिनकी कोख उजड़ गयीं, कितनी ऐसी बेटियाँ हैं, जिनका सुहाग उजड़ गया, कितनी ऐसी बहनें हैं, जिनके पतियों की हत्या हो गयी।...(व्यवधान) हमारे कितने ऐसे कार्यकर्ता हैं, जिनकी मृत्यु हो गयी, कितने ऐसे कार्यकर्ता हैं, जो विकलांग हो गए।...(व्यवधान) वर्ष 1947 से लेकर वर्ष 2019 तक लगातार सी.पी.एम. हत्या और गुंडागर्दी की राजनीति कर रहा है।...(व्यवधान)

महोदया, मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह है।...(व्यवधान) अभी त्रिपुरा में हार होने के बाद सी.पी.एम. को यह दिखाई दे रहा है कि हम केरल में सरकार बना रहे हैं और इस कारण हमारे वरिष्ठ नेता को मारने और उनकी हत्या की साजिश हो रही है।...(व्यवधान) इसलिए एक ज्युडिशियल कमीशन बनाया जाए और वर्ष 1947 से लेकर वर्ष 2009 तक क्यों आर.एस.एस. और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं और वहां के मुख्यमंत्री को इम्मीडिएट बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री शरद त्रिपाठी, श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय, श्री गणेश सिंह, श्री नारणभाई काछड़िया, श्री उदय प्रताप सिंह, प्रो. रिचर्ड हे, श्री दुष्यंत सिंह, श्री गोपाल शेट्टी, श्री अनिल शिरोले, एडवोकेट नरेन्द्र केशव सावईकर, श्री अनुराग सिंह ठाकुर एवं श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री निशिकान्त दुबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)